राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4068/2025

हंसराज मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.08.2025
आदेश की दिनांक : 07.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, झालावाड़ में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 17.08.2025 के द्वारा निलंबित किया गया है। अपीलार्थी जिला झालावाड़ में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 01.08.2023 से 25.03.2025 तक सेवायें दी। तत्समय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पीपलोदी के छत गिरने से 7 विद्यार्थियों की मृत्यु दिनांक 25.07.2025 को हुई थी। उक्त विद्यालय की देखरेख में हुई लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई और अपीलार्थी को उक्त घटना घटित होने के कारण निलंबित कर मुख्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर किया गया। उनका तर्क है कि विद्यालय के संबंध में प्रस्ताव मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मनोहरथाना के द्वारा दिनांक 25.07.2025 को दिया गया, जिसमें

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, झालावाड़ है न कि अपीलार्थी। वास्तविक रिपोर्ट मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मनोहरथाना द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, झालवाड़ को दिनांक 25.07.2025 को दी गई, जिसमें समस्त कारण एवं समस्त कार्य समग्र शिक्षा अभियान के तहत किये गये हैं, जो प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, झालवाड को दिनांक 18.03.2025 को भेजा गया, उसमें उक्त विद्यालय का नाम नहीं जोडा गया। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, झालावाड द्वारा मीटिंग नोटिस दिनांक 28.01.2025 को जारी किया गया और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालय की मरम्मत कार्य हेतु निविदा जारी की गई और इस प्रकार अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। परंतु फिर भी अपीलार्थी को उक्त हादसे में बरती गई लापरवाही के आधार पर आलोच्य निलंबन आदेश के द्वारा निलंबित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 17.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि विद्यालय में कुल नामांकन 72 हैं तथा विद्यालय में 5 शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय में 4 कक्षा कक्ष हैं, जिनके संदर्भ में विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जीर्ण–क्षीर्ण या मरम्मत के स्थानीय कार्यालय को कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाये गये हैं, कार्यरत शिक्षकों के द्वारा विद्यालय भवन की असुरक्षा के संदर्भ में संभावना व्यक्त नहीं की गई। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी राज्य स्तर का अधिकारी है और आलोच्य निलंबन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियम 13(1) के अंतर्गत जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक को नियमानुसार निलंबित करने का नियोक्ता को अधिकार है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच पूर्ण की गई है और तत्पश्चात् रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य निलंबन आदेश जारी कर अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, झालावाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 17.08.2025 के द्वारा निलंबित किया गया है। अपीलार्थी जिला झालावाड़ में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 01.08.2023 से 25.03.2025 तक सेवायें दी। तत्समय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पीपलोदी के छत गिरने से 7 विद्यार्थियों की मृत्यु दिनांक 25.07.2025 को हुई थी। उक्त विद्यालय की देखरेख में हुई लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई और अपीलार्थी को उक्त घटना घटित होने के कारण निलंबित कर मुख्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर किया गया। जहां तक अपीलार्थी को उक्त आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 17.08.2025 के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि आलोच्य निलंबन आदेश जांच उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत होने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी को निलंबित किया गया है, जिसमें अधिकरण द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य